(५१)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,**
**प्रशासकीय सदस्य**

-------------

निगरानी-3337-तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.07.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 103/अपील/2012-13

-----------

घनश्याम पुत्र श्री कमला कुर्मी
निवासी बुधगुवां ग्राम पंचायत लखनगुवां तह.
बिजावर जिला छतरपुर (म.प्र.) ..............**आवेदक**

**विरुद्ध**

म0प्र0 शासन ..............**अनावेदक**

--------------

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

-------------

**आदेश**
**(आज दिनांक....13/3/18..............को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 103/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 3552/1 रकवा 2.00 हे0 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.06.2011 द्वारा शासकीय घोषित किए जाने के कारण तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2012 द्वारा अस्वीकार किया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील

पेश की गई। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 30.07.2013 द्वारा अस्वीकार किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रार्थी को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी दिनांक 18.09.2012 को प्राप्त हुई थी और दिनांक 29.09.2012 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। अपर आयुक्त संभाग के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए 45 दिन की म्याद है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के पूर्व ही अपील प्रस्तुत कर दी गई थी जो कि अंदर म्याद है परंतु अधीनस्थ न्ययालय द्वारा बिना किसी वैध कारण के यह लिखते हुए कि प्रार्थी द्वारा अपील विलंब से प्रस्तुत किए जाने के जो कारण दर्शाए हैं उक्त कारण संतोषजनक न होने से प्रार्थी की अपील समायावधि बाह्य मानकर अपील निरस्त किए जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अवधि अधिनियम की धारा-5 के आवेदन-पत्र पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त न्याय दृष्टांतों के विपरीत आदेश पारित करते हुए प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई अपील को समयावधि वाह्य मानकर जो आदेश पारित किया है वह निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश की गई है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2012 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील दिनांक 31.10.2012 को पेश की गई है जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा नकल प्राप्त होने के एक माह बाद विलंब से अपील

पेश की है और विलंब का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया । म्याद अधिनियम का जो आवेदन उन्होंने दिनांक 24-7-13 को प्रस्तुत किया गया उसमें भी संतोषजनक कारण नहीं बताए जाने के कारण अपील को अवधि बाह्य माना है। विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

**(एम. गोपाल रेड्डी)**
**प्रशासकीय सदस्य**
**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश**
**ग्वालियर**